

बिल का सारांश

विशिष्ट राहत (संशोधन) बिल, 2017

- विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 22 दिसंबर, 2017 को लोकसभा में विशिष्ट राहत (संशोधन) बिल, 2017 पेश किया। बिल विशिष्ट राहत एक्ट, 1963 में संशोधन का प्रयास करता है। यह एक्ट उन पक्षकारों को उपलब्ध उपायों को निर्धारित करता है जिनके अनुबंध संबंधी या नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो। एक्ट उस पक्ष के लिए दो मुख्य उपायों को निर्धारित करता है जिसके अनुबंध का पालन (परफॉर्म) नहीं किया गया है। ये उपाय हैं : (i) संबंधित पक्ष न्यायालय से कह सकता है कि वह अनुबंध का पालन करवाने (स्पेसिफिक परफॉर्मेंस) को बाध्य करे या (ii) संबंधित पक्ष परफॉर्मेंस के स्थान पर मौद्रिक मुआवजे की मांग कर सकता है।
- **स्पेसिफिक परफॉर्मेंस** : एक्ट के अंतर्गत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक सीमित अधिकार है जिसे न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधिकार के आधार पर निम्नलिखित स्थितियों में दिया जा सकता है : (i) जब मौद्रिक मुआवजा पर्याप्त न हो, अथवा (ii) जब मौद्रिक मुआवजा आसानी से सुनिश्चित न किया जा सके। बिल इन शर्तों को हटाता है और एक सामान्य नियम के रूप में न्यायालयों द्वारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की अनुमति देता है।
- एक्ट में ऐसे व्यक्तियों की सूची है (i) जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग कर सकते हैं और (ii) जिनके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग की जा सकती है। इस सूची में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अनुबंध का एक पक्ष अथवा (ii) दो मौजूदा कंपनियों के एकीकरण से बनने वाली कंपनी। बिल पक्षकारों की इस सूची में एक नई एंटीटी को जोड़ता है। अब इसमें दो मौजूदा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) के एकीकरण से बनने वाली एलएलपी भी शामिल है, जिनमें से एक ने एकीकरण से पहले कोई अनुबंध किया हो।
- **सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस** : बिल प्रभावित पक्ष (यानी जिसके अनुबंध का पालन अन्य पक्ष द्वारा न किया गया हो) को यह विकल्प देता है कि वह तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) या अपनी खुद की एजेंसी द्वारा अनुबंध के पालन की व्यवस्था कर सके (सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस)। प्रभावित पक्ष को ऐसी सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस को हासिल करने से पहले कम से कम 30 दिन का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसी परफॉर्मेंस से जुड़ी लागत को अन्य पक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हासिल करने के बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा नहीं किया जा सकता।
- **निषेधाज्ञा (इंजंक्शन)** : एक्ट के अंतर्गत न्यायालय पक्षकारों को निवारक राहत (प्रिवेंटिव रिलीफ) (निषेधाज्ञा) दे सकते हैं। एक्ट ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता है जिसमें निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती, उदाहरण के लिए किसी पक्ष को आपराधिक मामले में शिकायत दर्ज कराने से रोकना। बिल इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स से संबंधित अनुबंधों में निषेधाज्ञा देने से न्यायालयों को रोकने का प्रयास करता है, अगर निषेधाज्ञा के कारण प्रॉजेक्ट के पूरा होने में रुकावट पैदा हो या उसमें विलंब हो।
- इन प्रॉजेक्ट्स को निम्नलिखित इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों और सब-सेक्टरों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) परिवहन, (ii) ऊर्जा, (iii) पानी और सफाई व्यवस्था, (iv) संचार (जैसे दूर संचार) और (v) सामाजिक और कर्मशियल इंफ्रास्ट्रक्चर

- (जैसे सस्ते आवास)। केंद्र सरकार एक अधिसूचना के जरिए इस सूची में संशोधन कर सकती है।
- **विशेष न्यायालय** : बिल के अंतर्गत कुछ दीवानी न्यायालयों (सिविल कोर्ट्स) को राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया जा सकता है। ये न्यायालय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स के मामलों से निपटेंगे। प्रतिवादी द्वारा सम्मन प्राप्त करने की तिथि से 12 महीने के भीतर ऐसे मामलों को निपटाया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा इस अवधि को और छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
 - **कब्जे की बहाली** : एक्ट निम्नलिखित व्यक्तियों को अचल संपत्ति के कब्जे की बहाली के लिए सूट
- फाइल करने की अनुमति देता है : (i) कब्जे से बाहर किया गया व्यक्ति (बेदखल व्यक्ति), और (ii) बेदखल किए गए व्यक्ति के जरिए दावा करने वाला व्यक्ति। बिल इसके अतिरिक्त ऐसे किसी व्यक्ति को भी कब्जे की बहाली के लिए सूट फाइल करने की अनुमति देता है जिसके जरिए अचल संपत्ति पर बेदखल व्यक्ति का कब्जा था।
- **विशेषज्ञ** : बिल उन सूट्स में तकनीकी विशेषज्ञों को संलग्न करने का नया प्रावधान जोड़ता है, जिनमें विशेषज्ञों की राय की जरूरत हो। न्यायालय द्वारा इन विशेषज्ञों के भुगतान की शर्तें निर्धारित की जाएंगी। इस भुगतान को दोनों पक्षों द्वारा वहन किया जाएगा।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।